

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-3)/2020/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय की संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-1)/2020/814 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु राजकीय नर्सिंग स्कूलों की द्वितीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों की प्रथम काउंसलिंग दिनांक 28.12.2020 एवं 29.12.2020 को निर्धारित की गई थी, को अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।



(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर

दिनांक : 29-12-2020

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-3)/2020/ 857

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ेडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
7. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ेडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्टी सिनेमा के पास, जयपुर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रेस नोट अपने स्तर से जारी करवाने का श्रम करावे।
9. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे।
10. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर